खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (घ) स्व० प्रो० लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित "गरीबों का अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल" की क्रियाविधि पर आधारित योजना आयोग के अनुमानों, जिसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अपनाया गया था, के अनुसार उत्तर प्रदेश में 40.85% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता और प्रति माह प्रदान किए गए खाद्यान्नों के प्रभाग/क्षेत्रवार ब्यौरे केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया किए जाते हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है। गरीबी रेखा से नीचे के कोटे के अलावा, विगत उठान के आधार पर राज्य सरकार को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए अस्थायी आवंटन भी किए जाते हैं। राज्यों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन भी किए जाते हैं।

Allocation of Levy Sugar to Gujarat

2837. SHRI BANGARU LAXMAN:
SHRI PRAFULL GORADIA:

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the detailed criteria being followed by the centre for allocation of levy sugar to States;

(b) whether it is a fact that levy sugar is allocated to States on the basis of projected population of 1998;

(c) if so, the reasons for not allocating levy sugar to Gujarat on that basis;

(d) whether any representation has been made by the State Government; and

(e) if so, the decision taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) to (e) The State/UTs are allocated levy sugar for Public Distribution System following a norm of minimum 425 gms per capita per month. The monthly quota is determined as per the 1991 census figures w.e.f. 1.1.1996 in respect of all the States/UTs. In addition, the Central Government also releases about 1 lakh tonnes of levy sugar per annum as festival quota which is allotted amongst all the States and UTs.

The request of Government of Gujarat for enhancement of levy sugar quota based on the projected pupulation of 1998 could not be acceded to as the sugar production in general and accrual of levy sugar in particular has yet to attain the stability to the extent needed for any upward revision.

पी०डी०एस० के तहत 1775 ब्लाकों के लिए पृथक योजना

2838. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरसिंह राव सरकार ने विषम भौगोलिक स्थिति वाले 1775 ब्लाकों जहां अन्न का उत्पादन नहीं होता था, के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक पृथक योजना तैयार की थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति, प्रति माह 7 किलो चावल तथा 10 किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाता था;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में भी उक्त योजना को लागू किया जा रहा था;

(घ) क्या "गरीबी रेखा से नीचे योजना" को लागू किए जाने के बाद इसको रद्द कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में पहले की तरह राशन उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ग) वर्ष 1992 में शुरू की गई सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश के 1775 ब्लॉक कवर होते थे जिनमें उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में स्थित 145 ब्लॉक भी शामिल हैं जहां सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समान्वित